भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1949

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

नोय्याल नदी में प्रदूषण

1949. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले कई दशकों से उपचारित न किए गए औद्योगिक और घरेलू कचरे के लगातार छोड़े जाने के कारण तमिलनाडु में नोय्याल नदी के गंभीर प्रदूषण को लेकर उठाई गई चिंताओं का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो उत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न नदियों के पुनरुद्धार के लिए माँगी गई और स्वीकृत की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य में जल गुणवत्ता की स्थिति का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न नदी बेसिनों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के नियमों को लागू करने और अपशिष्ट उपचार की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ मिलकर क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर नदियों में प्रदूषण का आकलन किया जाता है। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु में नोय्याल नदी में कोई भी प्रदूषित नदी खंड चिह्नित नहीं किया गया है। तमिलनाडु में सभी स्थानों/प्रदूषित नदी खंडों का जल गुणवत्ता डेटा निम्न लिंक पर उपलब्ध है:
https://cpcb.gov.in/openpdffile.phpid=UmVwb3J0RmlsZXMvMTc3N18xNzYwNjgxNDA4X21lZGlhcGhvdG80MzkyLnBkZg==

नदियों की सफाई तथा संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, स्थानीय निकायों तथा औद्योगिक इकाइयों की यह प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों अथवा भूमि में निर्वहन से पहले सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्टों का निर्धारित मानकों तक अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें, ताकि नदियों में प्रदूषण को कम और नियंत्रित किया जा सके। जल शक्ति मंत्रालय, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए 'नमामि गंगे कार्यक्रम' की

केंद्रीय क्षेत्र की योजना और अन्य नदी बेसिनों के लिए 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' (एनआरसीपी) केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के 'अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन' (अमृत) और 'स्मार्ट सिटीज़ मिशन' जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवरेज अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है।

एनआरसीपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर प्रस्ताव विचार हेतु प्राप्त होते हैं और उन्हें प्राथमिकता, दिशानिर्देशों के अनुरूपता, योजना के तहत निधि की उपलब्धता आदि के आधार पर मंज़ूरी प्रदान की जाती है। विभिन्न नदियों के पुनरुद्धार के लिए दी गई मंज़ूरी का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन की निगरानी सीपीसीबी और तमिलनाडु राज्य सहित संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' और 'जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974' के प्रावधानों के तहत की जाती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /स्थानीय निकायों और औद्योगिक इकाइयों के लिए सीवेज और अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना और निर्धारित निर्वहन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों को तकनीकी उन्नयन के माध्यम से अपशिष्ट जल के उत्पादन को कम करने, उसके पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण और जहाँ भी संभव हो, 'ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज' बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अनुलग्नक

"नोय्याल नदी में प्रदूषण" के संबंध में दिनांक 30.07.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 1949 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के(गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) अंतर्गत राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	शामिल नदियां	स्वीकृत लागत
1	आंध्र प्रदेश	गोदावरी	110.21
2	तेलंगाना	गोदावरी और मुसी	345.72
3	जम्मू और कश्मीर	देविका, तवी, झेलम और बाणगंगा	342.65
4	झारखंड	सुवर्णरेखा	3.14
5	गुजरात	साबरमती, मिंडोला और तापी	1,875.29
6	गोवा	मंडोवी और जुआरी	95.23
7	कर्नाटक	तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी और पेन्नार	66.25
8	महाराष्ट्र	गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा और मुला-मुथा और नाग	3,109.85
9	मध्य प्रदेश	वैनगंगा, नर्मदा और ताप्ती	20.16
10	मणिपुर	नंबुल, इंफाल-मणिपुर, कोग्बा	194.72
11	ओडिशा	ब्राह्मणी, महानदी तटीय क्षेत्र (पुरी)	92.74
12	पंजाब	घग्गर, ब्यास और सतलुज	774.43
13	राजस्थान	जोजारी	172.60
14	तमिलनाडु	अड्यार, कूउम, वैगई, वेन्नार, कावेरी और ताम्रबरनी	908.13
15	केरल	पंबा, चित्रपुझा और पेरियार	115.76
16	सिक्किम	रानी चू, तिस्ता और रंगित	608.12
17	नागालैंड	दिफू और धनसिरी, चेथे, जुंगकी, गारू, मेलाक, तापी, पुनयाओंगनमोंग, केलेउरेउ, सेडज़ू और तिज़ू, डोनयुंग शुमांग, मुत्सुम, माराचू और तिज़ू	140.12
कुल			8,975.12

(ख) नमामि गंगे कार्यक्रम (गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ) के अंतर्गत राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	शामिल नदियाँ	स्वीकृत लागत
1	उत्तराखंड	गंगा और उसकी सहायक नदियाँ	1,743.37
2	उत्तर प्रदेश		16,376.27
3	बिहार		7,838.96
4	झारखंड		1,310.30
5	पश्चिम बंगाल		5,028.69
6	हरियाणा		217.87
7	दिल्ली		2,505.74
8	हिमाचल प्रदेश		11.57
9	राजस्थान		258.48
10	मध्य प्रदेश		678.7
कुल			35,969.95
